भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 86/सेक (ई)टी आर-1/1 नई दिल्ली, दि 29-5-97

स्थायी आदेश सं. 23

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब., सब भारतीय रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.वि.ब., रेलवे बोर्ड

विषय : रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों के स्थानान्तरण, पदोन्नति आदि के बारे में अभ्यावेदन

रे.सु.ब. कर्मचारियों के स्थानान्तरण, पदोन्नति आदि के संबंध में अभ्यावेदनों के निपटान के संबंध में निम्नलिखित मार्ग निर्देशों का पालन किया जाएं:

(क) रे.सु.ब. कर्मचारियों के उचित माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों की मुख्य सुरक्षा आयुक्त वर्तमान नियमों के अनुसार गुण के आधार पर जांच करेंगे और यदि मामला सी एस सी की शक्तियों से बाहर है तो उसे डी जी/रे.सु.ब. की विशेष टिप्पणियों के साथ उग्रेषित किया जाएगा और साथ ही इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि असाधारण परिस्थितियां ऐसी है कि इस विषय पर वर्तमान नियमों और अनुदेशों में छूट प्रदान की जाए।

(ख) सब रे.सु.ब. कर्मचारियों को बताया जाए कि संबंधियों या हित चिन्तकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) जो रे.सु.ब. कर्मचारी संबंधियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और अन्य बाहरी व्यक्तियों से बाहरी दबाव डलवाते है उनके विरुद्ध वर्तमान अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

इन अनुदेशों की जानकारी बल के सब कर्मचारियों को दी जाए।

कोशी थामस
उप निदेशक/रे.सु.ब.